

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2021-22/19752/मूल पत्रावली/02

दिनांक : 22./07/2021

सम्भागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
बीकानेर ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
बीकानेर ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर ।

विषय : चक 3 सीएचडी, ग्राम पंचायत व तहसील छतरगढ, ब्लॉक खाजूवाला, जिला बीकानेर में नवीन रा.प्रा.वि. खोलने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक : प.17(7) प्राशि/आयों./बजट घो./2020पार्ट जयपुर, दिनांक : 26.03.21 एवं दिनांक : 22.07.21 ।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक : 26.03.21 एवं दिनांक : 22.07.21 के संदर्भ में **चक 3 सीएचडी, ग्राम पंचायत व तहसील छतरगढ, ब्लॉक खाजूवाला, जिला बीकानेर में नवीन रा.प्रा.वि. खोलने के स्वीकृति** निम्नांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. विद्यालय सत्र 2021-22 से प्रारम्भ किया जायेगा ।
2. नवीन खोले जाने वाले विद्यालय में पदों का आवंटन विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित मानदण्डानुसार किया जायेगा ।
3. जि.शि.अ.(मु.)प्रा.शि. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय संचालन हेतु राजकीय भवन की उपलब्धता होने तक किसी अन्य सुरक्षित भवन की वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्यालय संचालित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
4. नवीन रा.प्रा.वि. खुलने वाले विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि., जहां नामांकन की अपेक्षा कार्यरत शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन विद्यालयों से तृतीय श्रेणी के 02 शिक्षक लगाया जाना सुनिश्चित करावें ।


(सौरभ स्वामी)

I.A.S.


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
2. निजी सचिव, निदेशक, कार्यालय हाजा ।

3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. स. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन के प्रासांगिक आदेश के बिन्दु संख्या 2 की पालना में आरक्षित पदों में से उपरोक्त विद्यालय में तृतीय श्रेणी (L-1) के पद आवंटित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
6. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन/मॉनिटरिंग/शाला दर्पण (प्रा.शि.) अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
7. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर